फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

स संख्या :–232 /2024

रामदयाल **बनाम** सरकार

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
31.10.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। अप्रार्थी सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जो संलग्न है। बहस वकील वादी की सुनी गई। वादी ने यह वाद बाबत् घोषणा, नाम, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादी विवादित भूमि खाता संख्या 26 में खसरा 219, 220, 225, 236, 237, 238, 239, 241, 244, 245 कुल किता 10 कुल रकबा 2.28 है0 वाके ग्राम बृजपुरा तहसील चाकसू मे वादी व अन्य सहखातेदारों के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में वादी रामदयाल दत्तक पुत्र कल्याण के दर्ज होना बताया है जबकि गोदनामा के अनुसार उनके वास्तविक नाम रामदयाल पुत्र कन्हैयालाल दर्ज होना बताया है। प्रार्थी/वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है कि प्रतिवादी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे वारिस काबिज काश्त होना जाहिर किया गया है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में वादी के रामदयाल दत्तक पुत्र कल्याण के नाम दर्ज चली आ रही है। अतः जवाब सरकार एवं वादी के शपथ पत्र के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि रामदयाल दततक पुत्र कन्हैयालाल किया जाना उचित समझते है। अतः वादी के रामदयाल दत्तक पुत्र कल्याण विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में रामदयाल दत्तक पुत्र कल्याण के स्थान पर रामदयाल दत्तक पुत्र कल्याण उर्फ कन्हैयालाल दर्ज किया जावें। डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	